उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज

पत्रांक : 1657 / 208(2020) / अधियाचन / 2020–21 दिनांक 11.09.2021

विज्ञप्ति

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16E(11) के अनुसार अस्थायी रूप से नियुक्त कतिपय तदर्थ शिक्षक जो वेतन नही प्राप्त कर रहे हैं और विज्ञापन संख्या 01 / 2021 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अथवा 02 / 2021 प्रवक्ता सवंर्ग में फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में इसलिये आवेदन किया है क्योंकि तत्समय विज्ञापन में वेतन आहरण की सूचना भरना अनिवार्य था। ऐसे अभ्यर्थियों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 827 / 2021 श्री चन्द्र ओझा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में प्राप्त आदेश दिनांक 18 / 08 / 2021 एवं 25 / 08 / 2021 के समादर में उनकी तदर्थ शिक्षक सम्बन्धी सूचनाएं प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस हेतु विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 11.09.2021 से दिनांक 15.09.2021 के मध्य, पूर्व में किये गये पंजीकरण संख्या के सापेक्ष अपने आवेदन में तदर्थ शिक्षक होने की सूचना दे सकतें हैं। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा तदर्थ शिक्षक होने की सूचना के अतिरिक्त पूर्व में प्रदत्त किसी प्रकार की सूचना को अद्यतन (Update) नही किया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अभ्यर्थी अर्थात् पूर्व में आवेदित फ्रेश अथवा तदर्थ अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन अथवा अद्यतन (Updation) नही किया जा सकेगा। उपरोक्तानुसार सूचना प्रदान करने की अन्तिम तिथि दिनांक **15.09.2021** है। इसके पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार आनलाइन अथवा आफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

11-09-2021

उप सचिव
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।